मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1901
31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

छत्तीसगढ़ में पीएमएवाई-यू

1901. श्री विजय बघेलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या कितनी है और पिछले बारह महीनों के दौरान छत्तीसगढ़ में इसके अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों की संख्या कितनी है;

(ख) दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और बेमेतरा क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इसके अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों की संख्या कितनी है; और

(ग) दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में आवासों का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, आवास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है ताकि देश भर के पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त पक्के आवास उपलब्ध कराए जा सकें। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएँ हैं और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। इन योजनाओं के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मांग सर्वेक्षण करते हैं और पात्रता का पता

लगाने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना शहरी गरीबों की आवास आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करती है, मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत एक एकीकृत वेब-पोर्टल विकसित किया गया है। पात्र नागरिकों को एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन करने और अपनी मांग दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) योजना दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थी सूची का चयन/जांच कई स्तरों पर की जाती है। योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, आवासों को राज्य स्तरीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा केन्द्रीय सहायता जारी करने पर विचार करने के लिए केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) को भेजा जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा 21.07.2025 तक पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत कुल 2.99 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत पिछले 12 महीनों के दौरान 12,906 आवास स्वीकृत किए गए हैं। कुल स्वीकृत आवासों में से अब तक, 2.57 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं, जिनमें से 17,813 आवास पिछले 12 महीनों के दौरान पूरे किए गए हैं।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और बेमेतरा जिले में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रगति अनुलग्नक में दी गई है।

(ग) इस योजना के विभिन्न घटकों में तथा संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, परियोजनाओं को पूरा करने में सामान्यतः 12-36 महीने का समय लगता है। आवासों के निर्माण की समय-सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए वैधानिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधि की व्यवस्था आदि। पीएमएवाई-यू की योजना अवधि को वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए दिनांक 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने की सलाह दी गई है ताकि सभी आवास निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे हो सकें। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत आवासों को इसी वर्ष स्वीकृति दी गई है।

दिनांक **31-07-2025** को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1901 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और बेमेतरा जिले में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रगति

क्रमांक सं.	विवरण	दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	बेमेतरा जिला
1	स्वीकृत आवास (संख्या)	50,329	10,111
2	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	47,602	9,248
3	पूर्ण किए गए आवास (संख्या)	43,947	8,761
4	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	815.02	155.11
5	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	738.94	118.51

*****